राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)(664)परि/नियम/मु./2021 /411 जयपुर, दिनांक : 09/

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
————————————————।

विषयः— वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit के फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान में चल रहे चौपहिया वाहन में "मैसर्स Green Globe Fuel Solutions को फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त CNG Kit के निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये है। उक्त CNG Kit को लगाने के लिए निम्नलिखित वाहन/मॉडल हेतु फर्म द्वारा ले—ऑउट (Layout) प्लान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं।

	"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM^3(CC)	Vintage of Vehicle	Type Approval Certificate No. & Date
1	MARUTI A STAR	998	1st April 2013 till the validity of Bharat Stage-IV norms	CAJA 0062 L01 24-06-2014
2	CHEVROLET BEAT	1199		
3	CHEVROLET SPARK	995		
4	CHEVROLET AVEO UVA	1150		
5	MARUTI OMNI CARGO	796		
6	CHEVROLET SAIL	1199		
7	MARUTI RITZ	1197		
8	MARUTI ALTO	796		
9	MARUTI ALTO K10	998		
10	MARUTI ALTO 800	796		
11	MARUTI CELERIO	998		
12	MARUTI ZEN ESTILO	998		
13	HYUNDAI SANTRO XING	1086		
14	HYUNDAI i10	1086		
15	HYUNDAI GRAND i10	1197		
16	HYUNDAI i20	1197		
17	MARUTI SWIFT DZIRE	1197		
18	MARUTI SWIFT	1197		
19	TATA INDICA VISTA	1197		
20	TATA INDICA EV2	1193		
21	FIAT GRAND PUNTO	1172	1st April 2013 till the validity of Bharat Stage-IV norms	CAJA 0062 L01 24-06-2014
22	VOLKSWAGEN POLO	1198		
23	SKODA FABIA	1198		
24	FORD FIGO	1196		

25	HONDA JAZZ	1198		
26	HONDA BRIO	1198		
27	NISSAN MICRA	1198		
28	TATA INDIGO eCS	1193		
29	HYUNDAI EON	814		
30	MARUTI STINGRAY	998		
31	HYUNDAI XCENT	1197		
32	TOYOTA ETIOS LIVA	1197		
33	MARUTI EECO AMBULANCE	1196		
34	CHEVROLET SAIL UVA	1199		
35	HONDA AMAZE	1198		
36	FORD ECO SPORT 1.0	999		
37	MARUTI EECO (5 SEATER)	1196		
38	MARUTI EECO (7 SEATER)	1196		
39	MARUTI EECO CARGO	1196		
40	MARUTI OMNI (6 SEATER)	796		
41	MARUTI OMNI (8 SEATER)	796		

	"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM^3(CC)	Vintage of Vehicle	Type Approval Certificate No. & Date
1	TOYOTA COROLLA ALTIS	1798	1st April 2006 till the validity of Bharat Stage- III norms	CANA 0099 L01 03-05-2018
2	CHEVROLET AVEO	1598		
3	CHEVROLET AVEO	1399		
4	CHEVROLET OPTRA 1.6 L	1598		
5	CHEVROLET OPTRA 1.8 L	1799		
6	FIAT- LINEA	1368		
7	FORD FIESTA 1.6 L	1596		
8	FORD FIESTA 1.4 L	1388		
9	FORD FUSION	1596		
10	FORD IKON 1.3	1299		
11	FORD IKON 1.6	1597		
12	CHEVROLET BEAT	1199		
13	HONDA CIVIC	1799		
14	HYUNDAI VERNA	1599		
15	HYUNDAI ACCENT	1495		
16	HYUNDAI GETZ	1341		
17	HYUNDAI GETZ 1.5L	1495		
18	HYUNDAI i20	1396		
19	TATA INDIGO MANZA	1368		
20	MAHINDRA LOGAN	1390		
21	MARUTI ESTEEM	1298	1st April 2006 till the validity of Bharat Stage- III norms	CANA 0099 L01 03-05-2018
22	MARUTI SX4	1586		
23	FIAL PALIO	1242		
24	HYUNDAI i10	1197		
25	MITSUBISHI LANCER	1468		
26	MITSUBISHI LANCER 1.8L	1834		

27	SKODA SUPERB	1798		
28	TOYOTA COROLLA ALTIS	1794		
29	MARUTI BALENO	1590		
30	MARUTI EECO (5 SEATER)	1196		
31	MARUTI EECO (7 SEATER)	1196		
32	MARUTI RITZ	1197		
33	MARUTI SWIFT DZIRE	1298		
34	MARUTI VERSA (8 SEATER)	1298		
35	MARUTI VERSA (5 SEATER)	1298		
36	HONDA JAZZ	1198		
37	OPEL CORSA	1389		
38	MARUTI SWIFT	1197		
39	HYUNDAI i20	1197		
40	CHEVROLET UVA	1150		
41	HONDA CITY I – VTECH	1497		
42	MARUTI SWIFT	1298		

1. इन वाहनों में उक्त CNG Kit लगाने के समय मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989, एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त वाहन मॉड़ल में CNG Kit लगाने की अनुमति टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट (Type Approval Test Certificate) के साथ सलंग्न (Annexure) में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जाती है। इन शर्तों का सख्ती से पालना की जावें।
3. वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit का पुनः Fitment, Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्याशालाओं में ही किया जावेगा। इस प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता/ Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता CNG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता (Installer) को एक Authorisation सर्टीफिकेट जारी करेगें। उक्त प्राधिकर्ताओं (Installer) की सूची सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।
4. केवल इन्हीं अधिकृत वर्कशॉप मे किये गये CNG Kit के पुनः Fitment,को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन के पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टी/परिवर्तन किये जा सकेगें। पंजीयन पुस्तिका में प्रविष्ठि के समय पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि CNG Kit के सिलेण्ड़र (Gas cylinder) नम्बर का अंकन वाहन की पंजीयन पुस्तिका, पंजीयन रिकॉर्ड एवं परिवहन वाहन के केस में इसके अतिरिक्त फिटनेस प्रमाण पत्र में भी प्रविष्ठि का अंकन किया जावें।
5. वाहन स्वामी को अपने वाहन में CNG Kit पुनः Fitment, लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। CNG Kit पुनः Fitment कर्ता (Installer) Kit लगााने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है तथा उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को प्राप्त अनुमति के 14 दिवस के अन्दर–अन्दर करवाना होगा।
6. वाहन का टाइप अप्रुवल टेस्ट सर्टिफिकेट मूल टाइप अप्रुवल टेस्ट सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से तीन वर्ष अथवा नियमों में परिवर्तन जो भी पहले हो तक के लिए ही वैध है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(नानूराम चोयल)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)
9.4.21

क्रमांक प.7(38)(664)परि/नियम/मु./2021 /412-14 जयपुर, दिनांक : 09/04/21

प्रतिलिपिः–

1. M/s. Green Globe Fuel Stations, Green house, Building No. 5, Radhakrishna Industrial park, Mumbai Nasik Road, Pimplas Village, Bhivandi, Thane -421 302 , India को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. Analysist cum Programmer परिवहन मुख्यालय ।
3. N.I.C. Computer Section परिवहन मुख्यालय ।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

9.4.21

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)(664)परि/नियम/मु./2021/415 जयपुर, दिनांक : 09/04/21

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
_______________________।

विषयः– वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit के फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान में चल रहे चौपहिया वाहन में "मैसर्स Green Globe Fuel Solutions को फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त CNG Kit के निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियंम, 1989 के नियम 115B(1) A(II) for CNG for In- use Gasoline Vehicles (as amended by GSR 84(E) & GSR 1151(E)) , 115(2)(i), 115(14)F for Type approval norms for Gasoline Vehicles, idling Co & NMHC, Bharat Stage III के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये है। उक्त CNG Kit को लगाने के लिए निम्नलिखित वाहन/मॉड़ल हेतु फर्म द्वारा ले–ऑउट (Layout) प्लान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं।

"IN-USE" BASE MODEL	Type & Category	Seating Capacity (incl. driver)	GVW(Kg)
Bajaj RE 4 STROKE 3 WHEELER AUTO RICKSHAW	L5M (3 Wheeler) & 4 Stroke	4 persons	670

"IN-USE" BASE MODEL	Type & Category	Seating Capacity (incl. driver)	GVW(Kg)
Bajaj RE 2 STROKE 3 WHEELER AUTO RICKSHAW	L5M (3 Wheeler) & 2 Stroke	4 persons	670

1. इन वाहनों में उक्त CNG Kit लगाने के समय मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989, एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त वाहन मॉड़ल में CNG Kit लगाने की अनुमति टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट (Type Approval Test Certificate) के साथ सलंग्न (Annexure) में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जाती है। इन शर्तों का सख्ती से पालना की जावें।

3. वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit का पुनः Fitment, Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्याशालाओं में ही किया जावेगा। इस प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता/ Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता CNG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता (Installer) को एक Authorisation सर्टीफिकेट जारी करेगें। उक्त प्राधिकर्ताओं (Installer) की सूची सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।

4. केवल इन्हीं अधिकृत वर्कशॉप मे किये गये CNG Kit के पुनः Fitment,को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन के पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टी/परिवर्तन किये जा सकेगें। पंजीयन पुस्तिका में प्रविष्ठि के समय पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि CNG Kit के सिलेण्ड़र (Gas cylinder) नम्बर का अंकन वाहन की पंजीयन पुस्तिका, पंजीयन रिकॉर्ड एवं परिवहन वाहन के केस में इसके अतिरिक्त फिटनेस प्रमाण पत्र में भी प्रविष्ठि का अंकन किया जावें।

5. वाहन स्वामी को अपने वाहन में CNG Kit पुनः Fitment, लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। CNG Kit पुनः Fitment कर्ता (Installer) Kit लगााने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है तथा उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को प्राप्त अनुमति के 14 दिवस के अन्दर–अन्दर करवाना होगा।

6. वाहन का टाइप अप्रुवल टेस्ट सर्टिफिकेट मूल टाइप अप्रुवल टेस्ट सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से तीन वर्ष अथवा नियमों में परिवर्तन जो भी पहले हो तक के लिए ही वैध है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(नानूराम चोयल)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक प.7(38)(664)परि/नियम/मु./2021/516-18 जयपुर, दिनांक : 09/04/21

प्रतिलिपिः–

1. M/s. Green Globe Fuel Stations, Green house, Building No. 5, Radhakrishna Industrial park, Mumbai Nasik Road, Pimplas Village, Bhivandi, Thane -421 302 , India को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. Analysist cum Programmer परिवहन मुख्यालय ।
3. N.I.C. Computer Section परिवहन मुख्यालय ।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

9.4.21

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)(664)परि/नियम/मु./2021 /419 जयपुर, दिनांक : 09/04/21

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
————————————————।

विषयः— वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit के फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान में चल रहे चौपहिया वाहन में "मैसर्स Green Globe Fuel Solutions को फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त CNG Kit के निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115B(1) A(II) for CNG for In- use Gasoline Vehicles (as amended by GSR 1151(E)) , 115(2)(i), 115(17)(B) for Type approval norms for Gasoline Vehicles, idling Co & NMHC, Bharat Stage III के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये है। उक्त CNG Kit को लगाने के लिए निम्नलिखित वाहन/मॉड़ल हेतु फर्म द्वारा ले—ऑउट (Layout) प्लान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं।

"IN-USE" BASE MODEL	Type & Category	Seating Capacity (incl. driver)	GVW(Kg)
Bajaj RE Compact 4 STROKE	L5M (3 Wheeler)	4 persons	658

1. इन वाहनों में उक्त CNG Kit लगाने के समय मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989, एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त वाहन मॉड़ल में CNG Kit लगाने की अनुमति टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट (Type Approval Test Certificate) के साथ सलंग्न (Annexure) में वर्णित शर्तो के अधीन जारी की जाती है। इन शर्तो का सख्ती से पालना की जावें।
3. वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit का पुनः Fitment, Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्याशालाओं में ही किया जावेगा। इस प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता/ Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता CNG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता (Installer) को एक Authorisation सर्टीफिकेट जारी करेगें। उक्त प्राधिकर्ताओं (Installer) की सूची सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।
4. केवल इन्हीं अधिकृत वर्कशॉप मे किये गये CNG Kit के पुनः Fitment,को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन के पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टी/परिवर्तन किये जा सकेगें। पंजीयन पुस्तिका में प्रविष्ठि के समय पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि CNG Kit

के सिलेण्ड़र (Gas cylinder) नम्बर का अंकन वाहन की पंजीयन पुस्तिका, पंजीयन रिकॉर्ड एवं परिवहन वाहन के केस में इसके अतिरिक्त फिटनेस प्रमाण पत्र में भी प्रविष्ठि का अंकन किया जावें।

5. वाहन स्वामी को अपने वाहन में CNG Kit पुनः Fitment, लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। CNG Kit पुनः Fitment कर्ता (Installer) Kit लगााने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है तथा उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को प्राप्त अनुमति के 14 दिवस के अन्दर–अन्दर करवाना होगा।

6. वाहन का टाइप अप्रुवल टेस्ट सर्टिफिकेट मूल टाइप अप्रुवल टेस्ट सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से तीन वर्ष अथवा नियमों में परिवर्तन जो भी पहले हो तक के लिए ही वैध है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(नानूराम चोयल)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)
9.4.21

क्रमांक प.7(38)(664)परि/नियम/मु./2021/420-22 जयपुर, दिनांक : 9.4.21

प्रतिलिपिः–

1. M/s. Green Globe Fuel Stations, Green house, Building No. 5, Radhakrishna Industrial park, Mumbai Nasik Road, Pimplas Village, Bhivandi, Thane -421 302 , India को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. Analysist cum Programmer परिवहन मुख्यालय ।
3. N.I.C. Computer Section परिवहन मुख्यालय ।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)
9.4.21

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)(664)परि/नियम/मु./2021/407 जयपुर, दिनांक : 09/04/21

समस्त,
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
------------------------------।

विषयः– वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit के फिटमेन्ट, की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्तमान में चल रहे चौपहिया वाहन में "मैसर्स Green Globe Fuel Solutions को फिटमेन्ट किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ उक्त CNG Kit के निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115B.A(II) for CNG for In- use Gasoline Vehicles, 115(2)(i), 115(14)(G), 115(a),(b)(i) for Type approval norms for Petrol Vehicles, idling Co & NMHC, Bharat Stage IV के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये है। उक्त CNG Kit को लगाने के लिए निम्नलिखित वाहन/मॉड़ल हेतु फर्म द्वारा ले–ऑउट (Layout) प्लान केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत वर्णित टैस्ट ऐजेन्सी से प्राप्त कर लिये हैं।

"IN-USE" BASE MODEL	Type & Category	Seating Capacity (incl. driver)	GVW(Kg)	Certificate No. & date
Maruti -SX4	Passenger Car	5 persons	1650	CAGA 0100 Date : 21-10-2011

	"IN-USE" BASE MODEL	Engine CM³(CC)	Vintage of Vehicle	Type Approval Certificate No. & Date
1	HM- AMBASSDOR	1817	April 2010 till the validity of Bharat Stage- IV norms	CAGA0100 L01 09-12-2011
2	CHEVROLET- AVEO 1.4L	1399		
3	CHEVROLET- AVEO 1.6L	1598		
4	CHEVROLET- OPTRA MAGNUM	1598		
5	FIAT-LINEA	1368		
6	FORD-FIESTA 1.4	1388		
7	HONDA- CITY	1497		
8	HONDA- CIVIC	1799		
9	HYUNDAI- ACCENT	1495		
10	HYUNDAI- FLUIDIC VERNA 1.6L	1591		
11	HYUNDAI- FLUIDIC VERNA 1.4L	1396		
12	HYUNDAI – i20	1396		
13	TATA- INDIGO eCS	1193		
14	TATA- INDIGO CS	1396		
15	TATA- INDIGO MANZA	1368		

16	MAHINDRA- LOGAN 1.4L	1390		
17	MAHINDRA –LOGAN 1.6L	1598		
18	MAHINDRA VERITO	1390		
19	SKODA- SUPERB	1390		
20	SKODA- FABIA	1598		
21	SKODA- LAURA	1798	April 2010 till the validity of Bharat Stage- IV norms	CAGA0100 L01 09-12-2011
22	SKODA-SUPERB	1798		
23	TOYOTA- ETIOS	1496		
24	VOLKSWAGEN- JETTA	1595		
25	VOLKSWAGEN- POLO 1.2L	1198		
26	VOLKSWAGEN- POLO 1.6L	1598		
27	VOLKSWAGEN- VENTO	1598		
28	MARUTI- SWIFT	1197		
29	MARUTI-RITZ	1197		
30	MARUTI- SWIFT DZIRE	1197		
31	MARUTI –EECO (5 SEATER)	1196		
32	MARUTI –EECO (7 SEATER)	1196		
33	MARUTI-EECO CARGO	1196		
34	MARUTI- GYPSY	1298		
35	HYUNDAI-i10	1197		
36	HYUNDAI- i20	1197		
37	CHEVROLET- BEAT	1199		
38	NISSAN- SUNNY	1498		
39	TOYOTA- COROLLA ALTIS	1794		
40	HONDA- BRIO	1198		
41	FIAT-GRAND PUNTO 1.4	1368		
42	HONDA-JAZZ	1198		
43	AUDI-A4	1798		
44	MERCEDES BENZ-C200 CGI	1796		
45	MERCEDES BENZ-E200 CGI	1796		
46	FORD- FIESTA 1.6	1596		
47	SKODA – RAPID	1598		
48	TATA-INDICA VISTA	1248		
49	TATA-INDICA XETA V2	1193		
50	TOYOTA –ETIOS LIVA	1197		
51	FORD- FIGO	1196		
52	NISSAN-MICRA	1198		

1. इन वाहनों में उक्त CNG Kit लगाने के समय मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989, एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

2. उक्त वाहन मॉड़ल में CNG Kit लगाने की अनुमति टाइप अप्रुवल टैस्ट सर्टिफिकेट (Type Approval Test Certificate) के साथ सलंग्न (Annexure) में वर्णित शर्तों के अधीन जारी की जाती है। इन शर्तों का सख्ती से पालना की जावें।

3. वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में CNG Kit का पुनः Fitment, Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्याशालाओं में ही किया जावेगा। इस प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता/ Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता CNG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता (Installer) को एक Authorisation सर्टीफिकेट जारी करेगें। उक्त प्राधिकर्ताओं (Installer) की सूची सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।

4. केवल इन्हीं अधिकृत वर्कशॉप मे किये गये CNG Kit के पुनः Fitment,को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन के पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टी/परिवर्तन किये जा सकेगें। पंजीयन पुस्तिका में प्रविष्ठि के समय पंजीयन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि CNG Kit के सिलेण्ड्र (Gas cylinder) नम्बर का अंकन वाहन की पंजीयन पुस्तिका, पंजीयन रिकॉर्ड एवं परिवहन वाहन के केस में इसके अतिरिक्त फिटनेस प्रमाण पत्र में भी प्रविष्ठि का अंकन किया जावें।

5. वाहन स्वामी को अपने वाहन में CNG Kit पुनः Fitment, लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। CNG Kit पुनः Fitment कर्ता (Installer) Kit लगााने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है तथा उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को प्राप्त अनुमति के 14 दिवस के अन्दर–अन्दर करवाना होगा।

6: वाहन का टाइप अप्रुवल टेस्ट सर्टिफिकेट मूल टाइप अप्रुवल टेस्ट सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से तीन वर्ष अथवा नियमों में परिवर्तन जो भी पहले हो तक के लिए ही वैध है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(नानूराम चोयल)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)
9.4.21

क्रमांक प.7(38)(664)परि/नियम/मु./2021/408 – 10 जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपिः–

1. M/s. Green Globe Fuel Stations, Green house, Building No. 5, Radhakrishna Industrial park, Mumbai Nasik Road, Pimplas Village, Bhivandi, Thane -421 302 , India को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. Analysist cum Programmer परिवहन मुख्यालय ।
3. N.I.C. Computer Section परिवहन मुख्यालय ।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)
9.4.21